सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर .मुकाम. ब्यावर

श्रीमती जन्नत बनाम श्री बन्ना व अन्य

किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नं. 21 सन्..2018

[illegible]	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.04.2018	वकील प्रार्थीगण श्री नजीर मौहम्मद उपस्थित। प्रार्थना पत्र पर जांच रिपोर्ट देखी गई। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीगण को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुना गया जिन्होंने कमोबेश प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को ही दोहरायें। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन मामला प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया बनता है, तथा सहूलियत का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है । अतः अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से **आगामी तारीख तक** पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम बाड़िया भाऊ पटवार हल्का पाखरियावास के खसरा संख्या 29, 30, 31 की मौके एवं रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। मिसल बाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस पर उक्त आशय का नोट अंकित कर जारी किये जावे। मिसल दिनांक 12–06–2018 को पेश हो। पीयूष समारिया उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	नोटिस जारी 1829-38 20-4-18
3-5-18	राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में रखने हेतु प्रकरण आज नम्बर पर लिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। मिसल कैम्प सुहावा में दिनांक 12/6/18 को पेश हो। पीयूष समारिया उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	
12-6-18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट सुहावा में पेश हुई। चूंकि मूल वाद संख्या 25/2018 में वादिया का वाद आंशिक स्वीकार किए जाने से अब इस टी.आई. प्रा. पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है। अतः इस टी.आई. प्रा.पत्र पर कार्यवाही इसी स्तर पर ड्राप की जाती है मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर	